24/11/14

अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्णय
के कारण है इसलिए अपील लम्बित आदेश
चलाने योग्य नहीं है। अतः समस्त आवेदन
निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
प्रकरण समाप्त हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा